(41)

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462023
दूरभाष– 91–0755–2583659 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpividhya@yahoo.com
वेवसाइट www.sednmp.nic.in

क्रमांक / विद्या / एच / 04 / 2008 / 2755 भोपाल दिनांक 27 / 09 / 2008

प्रति

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण म. प्र.
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   मध्यप्रदेश

विषयः– सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं।

स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय / राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित निम्नांकित योजनाओं का लाभ राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा अनुसार हितग्राही सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र–छात्राओं को भी दिया जाना है छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थी के अभिभावक की आय वार्षिक 54000 /– से अधिक नहीं होना चाहिए :–

योजना का नाम	**कक्षा**	**अन्य**
1. सुदामा शिष्यवृत्ति योजना	11वीं एवं 12वीं	छात्र – 500 /– प्रतिमाह छात्रा – 525 /– प्रतिमाह
2. सुदामा प्रि–मेट्रिक शिष्यवृत्ति योजना	9वीं एवं 10वीं	छात्र – 300 /– प्रतिवर्ष छात्रा – 400 /– प्रतिवर्ष
3. सुदामा पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति	11वीं एवं 12वीं	छात्र – 500 /– प्रतिवर्ष छात्रा – 550 /– प्रतिवर्ष
4. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्रोत्साहन योजना	12वीं उत्तीर्ण	कक्षा 12वीं में जिले में प्रत्येक संकाय में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता एक छात्र एवं एक छात्रा
5. सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति	6वीं से 8वीं	छात्र – 200 /– प्रतिवर्ष छात्रा – 300 /– प्रतिवर्ष
6. निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना	1 से 12 तक	सभी वर्ग के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे
7. निःशुल्क साइकिल वितरण योजना	6, 9, एवं 11 में	उस गांव में स्कूल न होने पर अन्य गांव में अध्ययनरत छात्रा

उक्तानुसार योजनाओं की जानकारी जिला अंतर्गत सभी शिक्षण संस्थाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संस्थाओं को यह भी निर्देश दिये जायें कि इन योजनाओं की जानकारी संस्था में सूचना पट पर भी चस्पा करें।

(डॉ. अवधकिशोर मिश्रा)
संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृष्ठां0कमांक/विद्या/एच/04/2008/2756 भोपाल दिनांक 27/09/2008

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव म. प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल
2. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल
3. आयुक्त जनसंपर्क मध्यप्रदेश
4. आयुक्त आदिवासी विकास विभाग की ओर समस्त अधीनस्थ अधिकारियों एवं शिक्षण संस्थाओं को आवश्यक निर्देश प्रसारित करने हेतु प्रेषित
5. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश

संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश